न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 12 / 2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगणः–
गजाराम पुत्र बलुडाराम,जाति रेबारी,जरिये मुख्त्यारखास बगाराम पुत्र रामाजी,जाति रेबारी, निवासी रेबारियों का वास, आहोर		1.बलुडाराम पुत्र सवाजी,रेबारी, निवासी रेबारियों का वास, आहोर,तहसील आहोर 2.ग्राम पंचायत आहोर जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत आहोर, दिनांक 30.1.2015

उपस्थिति :–
1-श्री चुन्नीलाल पुरोहित, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री मधुसूदन व्यास व श्री ओमप्रकाश व्यास,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1की ओर से।
3.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.10.2019

1. प्रार्थी के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ग्राम पंचायत आहोर की आबादी भूमि रेबारियों का वास ,वार्ड नं.19 में प्रार्थी गजाराम का पुश्तैनी मकान आया हुआ है जो वर्तमान में प्लोट के रूप में पडा हुआ है, जिसके उतर में–तलसाराम पुत्र लसीया का प्लोट, दक्षिण में–भोमा पुत्र मोती का मकान,पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम में–रास्ता है। उपरोक्त प्लोट मय मकान लसीया पुत्र तीकमाजी का था जिसके कोई जीवित पुत्र नही होने से लसीया द्वारा जाति रीतिरिवाज के अनुसार संवत्2018 में चमनाजी को लसीया की लडकी सो. मरगो के पति थे ,घरजवाई रखते हुए अपनी पूर्ण सम्पति मालिक घोषित किया था, लसीया के उक्त मकान पर संवत् 2018 में लसीया के नाना चमनाजी काबिज थे तथा उनके

उतराधिकारी के रूप में प्रार्थी गजाराम काबिज रहा, ग्राम पंचायत में गृहकर प्रार्थी के नाम से जमा होता है, गृहकर के अलावा मालकीयत रजिस्टर में उक्त सम्पति गजाराम के नाम से दर्ज है तथा म्युटेशन गजाराम के नाम से दर्ज किया हुआ है जिसका आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.6.07 को बलूडा का खारिज कर गजाराम पुत्र कुईयाराम का नाम दर्ज किया गया। उक्त प्लोट विवाद में चलने पर प्रार्थी गजाराम द्वारा एक दावा सिविल न्यायाधीश(क.ख.) जालोर में बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसका मुकद्मा नम्बर 91/2009 , गजाराम बनाम बलूडाराम है जिसका फैसला दिनांक 12.7.2012 को किया गया जिसमें प्रार्थी का कब्जा माना परन्तु स्थायी निषेधाज्ञा वाद खारिज कर किया गया, उपरोक्त मुकद्में में बलुडाराम को कोई हक नही दिया गया अर्थात् प्लोट पर मालिकाना हक प्रार्थी का माना, दावा खारिज होने पर प्रार्थी द्वारा इसकी अपील जिला न्यायाधीश जालोर में पेश की गयी जिसके मुकद्मा सं. 24/2012 ,गजाराम बनाम बलुडाराम है जो चल रही है, उक्त अपील के साथ प्रार्थी द्वारा आदेश 39,रूल 1,2 सी.पी.सी. दरख्वास्त पेश की गयी जो वर्तमान में पेण्डिग है, विवादित प्लोट पर मौके पर कब्जा प्रार्थी का है,ग्राम पंचायत ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा प्रार्थी को बिना सुने ही दिनांक 30.1.2015 को निर्माण की ईजाजत जारी की गयी जिसके क्रमांक 125/2015 है,साथ ही उसी दिन नल व विद्युत कनेक्शन की एन.ओ.सी. जारी की गयी तथा गलत रूप से गृहकर रजिस्टर में नाम परिवर्तन करने के आदेश जारी किए गए जो दिनांक 28.2.2015 का है, इस तरह ग्रुप सचिव द्वारा बिना पंचाय की मीटिंग ,बिना प्रस्ताव पास किए गलत रूप से प्रार्थी के प्लोट पर निर्माण की ईजाजत दी गयी जिसकी जानकारी प्रार्थी को हाल में दिनांक 8.6.2015को हुयी, जब बलुडाराम जबरदस्ती प्रार्थी के प्लोट में कब्जा कर नींव खोदने की कोशिश की तो पुलिस थाना आहोर में मुकद्मा दर्ज करवाया ,जिस पर प्रार्थी को जानकारी होने पर निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से निर्माण ईजाजत जारी की गयी है , ग्रामसेवक को अकेले कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का कोई अधिकार नही हैं, दिसम्बर 2014 में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लगी थी जिसमें ग्राम पंचायत सरपंचों के अधिकार समाप्त किए थे, इस दरमियान् ग्रामसेवक द्वारा मनमाने ढंग से अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में निर्माण की ईजाजत जारी की है जबकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में प्रार्थी द्वारा पेश की गयी अपील की नकले ,सिविल न्यायालय के फैसले की नकल तथा पूर्व में इस न्यायालय में चली निगरानी की नकल पेश की गयी है। ग्राम सेवक द्वारा दिनांक 30.1.15 का आदेश दिया गया है वो गलत है, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा दिनां 18.12. 2007 को सरपंच व ग्रामपंचो द्वारा मौका देखा था जिसमें भी कब्जा प्रार्थी

का मालिकाना हक का था, विवादित प्लोट प्रार्थी का ही है, प्रार्थी अधिकांश समय बिमार रहने से इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.1 जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। ग्राम पंचायत आहोर द्वारा दिनांक 3.7.2008को इन्दिरा आवास योजना के तहत् पक्का निर्माण के लिए लाभान्वित किया था। प्रार्थी गजाराम द्वारा दिनांक 31.12.14 को ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक को एक दरख्वास्त पेश कर प्रार्थना की थी कि सिविल न्यायाधीश में मुकद्मा विचाराधीन है तब तक अप्रार्थी सं.1 को ईजाजत नही दी जाए तथा प्लोट पर किसी प्रकार की एन.ओ.सी. नही दी जावे। अतः ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत आहोर के आदेश दिनांक 30.1.2015 व 28.1.2015 निरस्त करावे । प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ धारा5 इण्डियन लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की ,इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी की निगरानी का जवाब अप्रार्थी सं.1—बलुडाराम की ओर से दिनांक 8.7.2015 को पेश किया कि निगरानी इस न्यायालय में चलने योग्य नही हैं क्योंकि निगरानीकर्ता खुद यह स्वीकार करता हैं कि इसी भूमि को लेकर सिविल न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश में मामला विचाराधीन है, उक्त प्लोट पर कब्जा अप्रार्थी सं.2 का है और यह बात लगभग 3 साल पहले सिविल न्यायालय द्वारा इसी जमीन पर अप्रार्थी बलुडाराम का पुराना कब्जा माना था और बलुडाराम को गोदपुत्र भी माना था, इसके अलावा गजाराम का निषेधाज्ञा का दावा जिसमे उसने जो आदेश मांगा था, वह निरस्त कर दिया था, इस आदेश की अपील खुद प्रार्थी ने जिला न्यायालय में कर रखी है और जिसमें 3 साल पहले स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था और इसमें कोई स्थगन जिला न्यायालय द्वारा नही दिया गया। जिस आदेश को निरस्त करने के लिये यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है वह आदेश निगरानी के पूर्व ही निरस्त कर चुकी थी, इस कारण से निगरानी पोषणीय नही है। सिविल कोर्ट ने प्रार्थी का कब्जा नहीं माना और आज तक किसी भी न्यायालय में प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रार्थी का नामान्तरकरण पहले ही पंचायत समिति खारिज कर चुकी है,उसके विरूद्ध निगरानी खारिज हो चुकी है। अपील ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध नही की गयी है, ग्राम सेवक के आदेश के विरूद्ध किया जाना कहा गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के तहत् ग्राम पंचायत के ओदश के विरूद्ध अपील पंचायत समिति में की जाती है और जब पंचायत समिति में

अपील का प्रावधान है ऐसी स्थिति में यह निगरानी पोषणीय नही हैं । मौके पर प्रार्थी का कब्जा भी नही है तथा अप्रार्थी सं.1 का कब्जा स्थापित है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।प्रार्थी वकील ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि लसीया के उक्त मकान पर चमनाजी काबिज थे तथा उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थी गजाराम काबिज रहा। गृहकर के अलावा मालकीयत रजिस्टर में उक्त सम्पति गजाराम के नाम से दर्ज है तथ म्युटेशन गजाराम के नाम से दर्ज किया हुआ है। ग्राम पंचायत आहोर की आबादी भूमि वार्ड नं.19 में प्रार्थी गजाराम का पुश्तैनी मकान आया हुआ है जो वर्तमान में प्लोट के रूप में पडा है। उक्त प्लोट उक्त प्लोट वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे में है। प्रार्थी द्वारा एक दावा सिविल न्यायाधीश(क.ख.) जालोर में बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के पेश किया जो 91/2009 गजाराम बनाम बलूडाराम है जिसका फैसला दिनांक 12.7.12 को किया गया जिसमें प्रार्थी का कब्जा माना परन्तु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया गया ,दावा खारिज होने पर प्रार्थी द्वारा अपील जिला न्यायाधीश जालोर में की गई जिसके मुकद्मा नम्बर 24/2012,गजाराम बनाम बलूडाराम है ,अपील के साथ प्रार्थी द्वारा आर्डर 39 रूल1,2 सीपीसी दरख्वास्त पेश की, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ग्राम पंचायत आहोर ग्रुप सचिव द्वारा प्रार्थी को बिना सुने दिनांक 30.1.15 को निर्माण की ईजाजत जारी की गयी जिसके कमांक 125/2015 है तथा साथ ही उसी दिन विद्युत कनेक्शन की एन.ओ.सी. जारी की गयी तथा गलत रूप से गृहकर रजिस्टर में नाम परिवर्तन करने के आदेश जारी किए गए। अतः ग्रामसेवक ,ग्राम पंचायत आहोर द्वारा पारित आदेश 30.1.15 (निर्माण कार्य की स्वीकृति कमांक 125) व प्रस्ताव दिनांक 28.1.2015 खारिज करावे , इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व बताया कि प्रार्थी द्वारा एक दावा सिविल न्यायाधीश(क.ख.) जालोर में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सं 91/2009 गजाराम बनाम बलूडाराम ,निर्णय दिनांक 12.7.2012को खारिज किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी गजाराम ने एक अपील जिला न्यायाधीश जालोर में पेश की जो अपील सं. 24/2012,गजाराम बनाम बलूडाराम है ,जिसके पारिवारिक न्यायालय के दीवानी मूल अपील प्रकरण सं. 13/2017, गजाराम बनाम बलूडाराम वगैराह है, जो निर्णय दिनांक अस्वीकार कर खारिज की जा चुकी है। जिस आदेश को निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की है वह आदेश निगरानी से पूर्व ग्राम पंचायत निरस्त कर चुकी है,यह अपील ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध नहीं की गयी

है,ग्रामसेवक के आदेश के विरूद्ध किया जाना कहा गया है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील पंचायत समिति में की जाती है,ऐसी स्थिति में यह निगरानी पोषणीय नही है अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.2 की ओर से उनके वकील ने बताया कि ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत आहोर ने जो कार्यवाही की है वह विधिसम्मत् है तथा ग्राम पंचायत में निहित अधिकार का प्रयोग ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव करने में भी सक्षम है।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत आहोर की मिसल का अवलोकन करने पर ,अप्रार्थी सं.1—बलूडाराम के प्रार्थनापत्र दिनांक 28.1.2015 जो ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत आहोर को संबोधित है,उस पर पेश होने का कोई मार्क अंकित नही है, बलूडाराम ने मकान निर्माण की ईजाजत हेतु पेश किया गया है, उक्त प्रार्थनापत्र के साथ कोई ब्ल्युप्रिन्ट नक्शा या हक टाईटल पेश नही किया गया है, उक्त प्रार्थनापत्र को आदेशिका दिनांक 28.1.2015 पर लिया जाकर सबंधित कार्मिक द्वारा पत्रावली अवलोकनार्थ व आदेशार्थ ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को पेश की गई है।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा आदेशिका में ''उक्त भूखण्ड का मौका अडौस—पडौसीयों के रूबरू देखकर मौका फर्द पेश करें,'' का आदेश दिया।

उसी दिवस दिनांक 28.1.2015 सबंधित कार्मिक द्वारा आदेशिका में लिखा गया कि आज ही उक्त कब्जा सुदा भूखण्ड का मौका पंचायत कार्मिक श्री दलपतसिंह राठौड द्वारा देखा गया, माफिक मौका फर्द अवलोकनार्थ बाद उचित आदेशार्थ ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव को पेश की गई।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा आदेशिका में ''माफिक मौका फर्दनुसार प्रार्थी को मकान निर्माण की ईजाजत जारी की जाती है,,आदेश दिया तथा ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा पत्रांक 125 दिनांक 30.1.2015 से बलूडाराम को मकान निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की। पत्र कमांक126—27 दिनांक 30.1.2015 से बलूडाराम को प्लॉट में नल कनेक्शन हेतु एन.ओ.सी. जारी की।

उपरोक्त सभी कार्यवाही तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा होने पर व चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद जारी की गई है जो पंचायत की बिना बैठक व बिना प्रस्ताव पारित किए जारी की गई है, उक्त समय ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव को ऐसे कोई अधिकार नहीं थे।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 68 फीस का उद्ग्रहण से सबंधित है, के प्रावधान निम्नानुसार हैः—

(1)अनुसार पंचायत जनता के प्रति की गयी सेवाओं के लिए निम्नलिखितानुसार अधिकतम दरों के अध्यधीन फीस उद्ग्रहित कर सकेगीः—

1(I)—आवेदन पत्र फीस 10/—

1(IV)—विद्युत के लिए पाईप द्वारा जल प्रदाय के लिये अनापति प्रमाण पत्र 40/—रू.

1(IX)—भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा 2/—रू पक्के निर्माण के लिये प्रति वर्गमीटर

(2) ऐसी फीसें उद्ग्रहित करने का निश्चय करने वाली पंचायत साधारण बैठक में संकल्प पारित करेगी और पंचायत सर्किल के निवासियों से तीस दिन के भीतर आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करते हुए सूचना पट्ट पर नोटिस प्रकाशित करेगी।

(3)नोटिस की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् पंचायत, उपान्तरणों सहित या रहित संकल्प पुनः पारित कर सकेगी और आगामी मास की पहली तारीख से ऐसी फीसें प्रभारित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

ग्राम सेवक ने उपरोक्त की पालना नही की है व कोई बैठक में प्रस्ताव पारित नही किया तथा तीस दिनो में आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करने हेतु कोई नोटिस प्रकाशित नही किया व आनन फानन में 3 दिन में मकान निर्माण की ईजाजत व नल कनेक्शन हेतु एन.ओ.सी. जारी कर दी जिसकी निर्धारित राशि जो ग्रामसेवक व पदेन सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी बलूडाराम के प्राप्त करने का कोई सबूत रैकार्ड पर नहीं है जो कार्यवाही विधिसम्मत् नही है।

5. अतः ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही विधिसम्मत् नही करने से प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

आदेश

प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर द्वारा दिनांक 30.1.2015 को अप्रार्थी सं.1—बलूडाराम के पक्ष मे पत्रांक 125 दिनांक 30.1.2015 से जारी मकान निर्माण कार्य की स्वीकृति व पत्रांक 126—27 दिनांक 30.1.2015 से जारी नल कनेक्शन हेतु

एन.ओ.सी. निरस्त की जाती हैं एव प्रकरण सरपंच, ग्राम पंचायत आहोर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् कार्यवाही करे।निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालोर को तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत आहोर के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.10.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

:

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 17:29:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: